

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15012022-232662
SG-DL-E-15012022-232662असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 373
No. 24]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943	[N. C. T. D. No. 373

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (पुलिस – 2) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 14 जनवरी, 2022

सं. फा./2/1/88/गृह पुलिस-2/खण्ड-1/84-87.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/01/2022 to 18/04/2022 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

शक्ति बांगर, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 14th January, 2022

No. F. 2/1/88-HP-II/Pt.-I/84-87.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/01/2022 to 18/04/2022** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SHAKTI BANGAR, Dy. Secy. (HOME-II)